राजस्थान सरकार की निगम चुनाव टलवाने की एसएलपी खारिज

जयपुर समेत छह निगमों में 31 अक्टूबर तक कराएं चुनाव, हफ्तेभर में जारी हो कार्यक्रम : सुप्रीम कोर्ट

जयपुर | सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इंकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी व संजीव खन्ना की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की एसएलपी निस्तारित करते हुए दिया। सरकार ने 31 मार्च 2021 तक करवाने की मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही ये चुनाव टालने के लिए काफी वक्त दे चुका है। अब तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं दिख रही। ये चुनाव दिसंबर 2019 से लंबित चल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से सहमत है और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। वहीं कोर्ट ने राज्य के निर्वाचन आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे जयपुर, जोधपुर व कोटा के छह नगर निगमों के चुनाव करवाने के लिए एक सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित करें। पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करे और यदि चुनाव कार्यक्रम की अवधि में पूरे चुनाव कराना संभव नहीं हो तो हाईकोर्ट में समय बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करे। इस प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट मेरिट के अनुसार तय करे। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि राजस्थान में पंचायत समितियों के चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार का यह कहना कि प्रदेश में इन छह नगर निगमों के चुनाव कराए जाने के हालात नहीं हैं, यह समझ से परे है। इसलिए अदालत चुनाव की और तारीख नहीं बढ़ाएगी क्योंकि इन तीनों जगह के नगर निगम चुनाव दिसंबर 2019 से ही लंबित चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगम चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी कर रहा है। इसी हफ्ते में इन तीनों जिलों के 6 नगर निगमों में चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तीनों शहरों में 36 लाख से अधिक वोटर हैं। ऐसे में मतदान केंद्रों की संख्या करीब 3400 से बढ़ाकर छह हजार तक की जा सकती है। 70 से 75 प्रतिशत मतदान केंद्रों में इजाफा होगा। माना जा रहा है कि 3400 मुख्य मतदान केंद्र रहेंगे, वहीं करीब 2600 सहायक मतदान केंद्र इससे जोड़े जाएंगे।

फैसले का सम्मानः धारीवाल

चुनाव आयोग निगमों में चुनाव कराएगा। चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है।

- शांति धारीवाल, नगरीय निकाय मंत्री

SUNCITY
AVENUE 76

License No. 34 of 2018, Building Plan Approved Vide Memo No. ZP-1255/JD(RD) 2019/20894 dated 30-08-2019. HARYANA RERA REG. NO. 78 OF 2019 DATED 23-12-2019

फ्लैटों का ड्रॉ

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत विकसित की जा रही सनसिटी एवेन्यू 76, सैक्टर 76, जिला गुरुग्राम हरियाणा के फ्लैटों का ड्रॉ दिनांक 13.10.2020 को सुबह 9:30 बजे सनसिटी स्कूल (ऑडिटोरियम) सनसिटी टाउनशिप, सैक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में आयोजित किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग की मदद से Youtube लाइव पर ड्रॉ की कार्यवाही प्रसारित की जाएगी। कोविड-19 महामारी की चल रही स्थिति के कारण, कोरोना वायरस रोग के प्रसार को रोकने के लिए, सार्वजनिक सभा पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

MHA/ DTCP हरियाणा के दिशानिर्देशों के अनुसार, ड्रॉ समिति और कर्मचारियों सहित 50 व्यक्तियों की अधिकतम शक्ति का संचालन स्थल पर किया जाएगा, शेष आवेदक YouTube लाइव के नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन ड्रॉ में भाग लेंगे।

YouTube लिंक: https://www.youtube.com/c/suncityprojectspvtltd

नोट: सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अगर वह अपना आवेदन देखना या जाँचना चाहते हैं तो वह ड्रॉ से पहले (एस.टी.पी.) ऑफिस गुरुग्राम या डेवलपर ऑफिस में देख सकते हैं।

सनसिटी प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45201DL1996PTC083915)
सनसिटी बिजनैस टॉवर, 218-224, द्वितीय तल, गोल्फ कोर्स रोड, सैक्टर-54, गुरुग्राम-122002, हरियाणा।
Ph.: 7061700000 • VISIT: www.suncityprojects.com